

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठारसीन अधिकारी-

रामरतन साँकरिया

मिसल नम्बर
81/2025 प्रापत्र/2025

तारीख दायरा
25.08.2025

आर.ए.एस
तारीख निर्णय
10.10.2025

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि
नियंत्रण, टोंक राज0।

..... प्रार्थी

बनाम

- 1-श्रीमति रेखा देवी सैनी पत्नि श्री रामकिशन माली निवासी साईदो का मोहल्ला अलीगढ तह
उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स होटल कनक एण्ड फैमिली रिसोर्ट डींग के बालाजी
एनएच-116 अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक राज। मोबाईल नं. 7425056962
- 2-मैसर्स होटल कनक एण्ड फैमिली रिसोर्ट डींग के बालाजी एनएच-116 अलीगढ तह
उनियारा जिला टोंक राज। पिनकोड-304023

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की
उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अप्रार्थी श्रीमति रेखा देवी सैनी स्वयं उप।


:-निर्णय:-

दिनांक 10/10/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 24.06.2025 को समय 01:00 पी.एम. पर मैसर्स होटल कनक एण्ड फैमिली रिसोर्ट
डींग के बालाजी एनएच-116 अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर विक्रेता
की हैसियत से श्रीमति रेखा देवी सैनी पत्नि श्री रामकिशन माली अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य
प्रदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिली, श्रीमति रेखा देवी सैनी पत्नि श्री रामकिशन
माली को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्रीमति रेखा देवी सैनी पत्नि
श्री रामकिशन माली ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य
अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि
प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु डीप फ्रीजर में एक भगोने में लगभग 7-8
किलोग्राम दही (मिश्रित दूध से निर्मित) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न
होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्रीमति रेखा देवी सैनी पत्नि श्री रामकिशन माली को फार्म
नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्वय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों
में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्रीमति रेखा देवी सैनी पत्नि
श्री रामकिशन माली व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मध्य रोल
मोहर कर तरदीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताया




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

को बताकर कि दही (मिश्रित दूध से निर्मित) वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, 800 ग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा दही (मिश्रित दूध से निर्मित) 800 ग्राम को हिला-मिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर 4 साफ एवं सुखी प्लारिस्टिक की क्षत्रियों में बराबर-बराबर भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग में 40 प्रतिशत फार्मलिन की 16-16 बूंदें डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयरस्टाईट बन्द किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4451 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर रिलप न आई-4451 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर बिल्ला एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जापते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्रक्रमांक एफएसएसए/2025/945 दिनांक 09.07.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/2640/एक्ट/2025/2688 दिनांक 30.06.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया दही (मिश्रित दूध से निर्मित) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्रीमति रेखा देवी सैनी स्वयं उपस्थित हुई एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र कुछ मानकों को पूरा नहीं करने के कारण उक्त नमूना अवमानक स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकक्ष डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस दही (मिश्रित दूध से निर्मित) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया दही (मिश्रित दूध से निर्मित)



हमने अप्रार्थी एवं पेशेकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया दही (मिश्रित दूध से निर्मित) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शारित रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शारित जमा नहीं करवाने पर शारित वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 10/10/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0